

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी वैशाली, हाजीपुर के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित) से 03 दुर्घटना में मृत श्रमिकों के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 300000/- (तीन लाख रूपए) एवं 04 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 120000/- (एक लाख बीस हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 420000/- (चार लाख बीस हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्त का व्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० साधु राय, 44, श्री मंगर राय, पि० वर्ग	श्रीमती संगीता देवी(पत्नी)	1087/12.9.18	ग्रा०-थानपुर, पो०-परमानंदपुर, था०+प्र०-महनार, वैशाली	10805410 30041042	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, महनार, CBINOR10001	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री के हेल्टर का कार्य
2	स्व० राजेश्वर पासवान, 57, स्व० सुबेला ल पासवान, अनु० जाति	श्रीमती सुरमिला देवी(पत्नी)	1210/18.9.18	ग्रा०-भरहो, पो०-सरमस्तपुर, था०-महनार, वैशाली	34976125 428	भारतीय स्टेट बैंक, हरगोविंदपुर SBIN0012562	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु भवन निर्माण में अकुशल मजदूर का कार्य
3	स्व० विपिन कुमार, 27, श्री तेज नारायण सिंह, सामान्य	श्रीमती निलम देवी(माता)	1211/18.9.18	ग्रा०-रोहना, पो०+था०+जि०-वैशाली	46661051 0000675	बैंक ऑफ इंडिया, सरैया BKID0004666	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, भारत गैस एजेन्सी में मजदूर का कार्य
4	स्व० रामाधार राय, 59, श्री बालदेव राय, पि० वर्ग	श्रीमती रामेश्वरी देवी(पत्नी)	1212/18.9.18	ग्रा०-फुलाह, पो०-मंसूरपुर, था०+जि०-वैशाली	39863414 93	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दाउदनगर CBIN0281805	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु रिक्षा चालक का कार्य
5	स्व० सुखारी राय, 57, स्व० रिझावन राय, पि० वर्ग	श्रीमती राजपति देवी(पत्नी)	1213/18.9.18	ग्रा०+पो०-चकरामदास, था०+जि०-वैशाली	10812910 30015548	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, चकमदास CBINOR10001	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु खेतिहर मजदूर का कार्य
6	स्व० शंकर राय, 51, स्व० लखन राय, पि० वर्ग	श्रीमती जीतन देवी(पत्नी)	1489/03.12.18	ग्रा०+पो०-रूसतमपुर, था०+प्र०-राधोपुर, वैशाली	35918796 249	भारतीय स्टेट बैंक, रामपुर श्यामचंद SBIN0000088	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु टेला श्रमिक का कार्य
7	स्व० मो० परवेज आलम, 32, मो० ऐनुल हक, अ० पि० वर्ग	श्रीमती चन्दा प्रवीण(पत्नी)	1490/03.12.18	ग्रा०-भरहो, पो०-सरमस्तपुर, था०-महनार, वैशाली	16900017 00114844	पंजाब नेशनल बैंक, सिरदिलपुर, PUNB0169000	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री का कार्य

कुल :- ₹ 420000/-

(चार लाख बीस हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति व बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकि आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के संचिका सं० श्रम क० सं०-11/2018 के पृष्ठ-22/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-11/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-11/2018-११

पटना, दिनांक :- १५-०१-१९

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 420000/- (चार लाख बीस हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, वैशाली, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित/ आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

3/6/21
23.01.19

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

24/01/19

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

24/01/19

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।